संख्याः 14/20/48 तिथिः 27/07/2024 पावती समयः 11:38 AM

## तारांकित प्रश्न

विषय:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मंत्री:- श्री. कँवर पाल

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था

में:-

प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:

श्री अभय सिंह चौटाला(46) , सदस्य

सेवा में:

सचिव

हरियाणा विधान सभा

Haryana

## महोदय,

देता हूं जिसका उत्तर

\* कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :

क्या कृषि मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि-

क- पिछले तीन सालों (2021-22 से 2023-24) में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियों की तरफ किसानों की फसल खराबे से हुए नुकसान की कुल कितनी राषि वर्षवार तथा जिलावार बकाया है, यदि हां तो,

ख- उपरोक्त (क) के अनुसार बकाया राषि के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अदायगी न होने की स्थिति में दोषी कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा दिया जाए ?

ग- खरीफ 2023, जून-जुलाई में ज्यादा बारिष के कारण कपास व धान की फसलों को भारी नुकसान का मूल्यांकन करवाते हुए उचित मुआवजा दिया गया है? अगर हां तो उसका जिलावार विवरण दिया जाए।

भवदीय

श्री अभय सिंह चौटाला(46)

सदस्य

27/07/2024 11:38 AM

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में